दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

नवविवाहिता को दहेज प्रताड़ना, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतरारोड जोशी गली में रहने वाली श्रीमती प्रियंका पटेल पति वैभव पटेल के लिखित आवेदन पर आज दिनांक 19.06.19 को थाना कोतवाली में आवेदिका के पति, सास, ससुर एवं ससुराल पक्ष के लोगों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदिका ने बताया कि जुलाई 2018 को सामाजिक रिति रिवाज के साथ वैभव पटेल निवासी बुढी मांई मंदिर रोड दरोगापारा के साथ हुई है शादी हुई थी। शादी के बाद पता चला कि वैभव पटेल शराब पीने का आदी है तथा अपने माता पिता के साथ अपनी बुआ बसंत पटेल, पति जगन्नाथ पटेल के घर मे रहता है। विवाह के समय इसके माता पिता द्वारा स्त्रीधन के रूप में सभी सामान जेवर, बर्तन, फर्नीचर दिये थे तथा नगद रकम आठ लाख रूपये भी दिये थे। शादी के बाद ससुराल पहुचने पर दाम्पत्य जीवन 10-15 दिन तक सही चला उसके पश्चात दहेज कम लाई है कार नही दिये बोलकर गंदी गंदी गालियां देकर प्रताड़ित करते रहे। घटना की जानकारी अपने मायके में बतायी और दिनांक 20 जनवरी 2019 को मारपीट से परेशान होकर अपने मायके चली आयी। ससुराल वाले विवाह का पूरा खर्च लेकर तलाक लो हम दूसरी शादी करेंगे कहकर दबाव बना रहे है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही चाहती हूं। पीड़िता के लिखित आवेदन पत्र पर अप.क्र. 458/19 धारा 498(ए) आईपीसी आवेदिका के पति वैभव पटेल, सास अनुपमा पटेल, ससुर राजकमल पटेल, बुआ सास बसंत पटेल, राधा, ननद आस्था के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चक्रधर नगर व खरसिया थाना में सट्टा एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में पदस्थ सउनि दिनेश बहिदार द्वारा टाऊन भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना पर अंबेडकर आवास के पास चक्रधरनगर में सट्टा पट्टी लिख रहे प्रकाश निषाद पिता कीर्तन निषाद उम्र 29 वर्ष मूल निवास ग्राम लिप्ती थाना सरिया हाल मुकाम मालीडीपा ड्रायवर क्वाटर गायत्री मंदिर के सामने चक्रधरनगर को पकडे। आरोपी के पास से एक कागज का टुकड़ा जिसमें सट्टे का अंक एवं रूपये लिखा हुआ सट्टा पट्टी, नगदी रकम 1850 रूपये एवं एक पेन जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना चक्रधरनगर में जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

पुलिस चौकी खरसिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन एवं आरक्षक कीर्ति सिदार द्वारा दिनांक 18.06.19 को मुखबिर सूचना पर खरसिया पोस्ट आफिस रोड सिविल लाईन के पास राजकुमार ऊर्फ पिन्टु राजपूत पिता स्व0 झण्डू सिंह उम्र 32 साल साकिन काली मंदिर पास खरसिया को सट्टा खेलाते रंगे हाँथों पकडे। आरोपी के विरूद्ध चौकी खरसिया में जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

250 लीटर शराब व 3240 किलो ग्राम महुआ लाहन पकड़ाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर रायगढ़ यशवंत कुमार एवं सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक ने गर्मी के मौसम में जंगल में महुआ से अवैध शराब बनाकर बेचने के बड़े अडडो पर टीम बनाकर कार्यवाही करने निर्देशित किया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी इंद्रबली सिंह मारकण्डे एवं रमेश कुमार अग्रवाल की टीम ने 76 प्रकरण कायम कर 250 लीटर शराब और 3240 कि.ग्रा. लाहन जप्त किया है। जिसका बाजार मूल्य तीन लाख चौहत्तर हजार रूपये (374000/-) ऑका गया है। डॉ. राकेश राठौर आबकारी उप निरीक्षक ने खरसिया क्षेत्र के कुनकुनी लोहाखान जंगल में महिला समूह की सूचना पर दबिस दी। जंगल में साइफन लगा भट्ठी से 100 कि.ग्रा. महुआ से शराब बनाने के उपकरण बरामद किये, मौके पर साढ़े चार लीटर महुआ शराब भी जप्त की गई।

वन रक्षक सहित दो को हाथी ने कुचल कर मार डाला

धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल क्षेत्र की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में आनेवाले ग्राम छाल के जंगल में आज शाम एक जंगली हाथी के हमले से वन रक्षक मुकेश पाण्डेय सहित दो लोगों की मौकै पर ही मौत हो गई। जंगली हाथी के इस हमले में चार अन्य ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किलों से भाग कर अपनी जान बचाई है।

धर्मजयगढ़ वन मंडल अधिकारी प्रनय मिश्रा ने बताया कि वन विभाग ने आज जंगली हाथियों का उत्पात से प्रभावित छाल वनपरिक्षेत्र अन्तर्गत पोड़ी गांव में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए बैठक आयोजित की थी। इस बैठक के बाद वन रक्षक और ग्रामीण जंगल के मार्ग से पैदल वापस लौट रहे थे। इस दौरान एक दंतैल हाथी ने अचानक दो लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें वन रक्षक मुकेश पाण्डेय सहित दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि क्रुद्ध हाथी मृतकों के शव के पास ही बैठ गया था। इससे शव उठाने में दिक्कत हो रही थी। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वन कर्मियों तथा ग्रामीणों के सहयोग से हाथी को वहां से हटाया जा सका। जिसके बाद मर्ग पंचनामा की कार्रवाई आगे बढ सकी।

मोबाईल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में महिला द्वारा रामभांठा में रहने वाले करन महंत के विरूद्ध मोबाईल पर अश्लील मैसेज भेजने, गाली गलौच कर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। महिला के रिपोर्ट पर आरोपी युवक के विरूद्ध अप.क्र. 199/19 धारा 509(ख), 506 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पीड़ित महिला ने बताया कि करन महंत करीब 02 साल पूर्व से इसकी लड़की के पीछे लगा हुआ था, लड़की के स्कुल आते जाते उसे छेडखानी करता जिसे देखते हुये लडकी को उसके रिस्तेदार के यहां पढाई करने भेज दिये। उसके बाद भी करन महंत लड़की तथा उसके पिता व मां के मोबाईल पर अश्लील मैसेज भेजता व लड़की को गली गलौच कर धकमी देता था। कई बार लडकी के पिता ने करन को समझाया किन्तु वह नहीं माना। महिला के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में आरोपी युवक के विरूद्ध उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

योग दिवस पर विभिन्न स्थलों पर होगा योग शिविर का आयोजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज राजधानी में पतंजलि योग समिति रायपुर द्वारा कलेक्ट्रेट रिसर रायपुर में प्रातः6 से 8 तक योग मंदिर के संस्थापक संजय अग्रवाल की सुपुत्री श्रेया अग्रवाल द्वारा योग प्रशिक्षण दिया जाएगा वही योग मंदिर संस्थान से प्रशिक्षुओ के जरिये विभिन्न संस्थानों में आधा दर्जन से अधिक स्थलों पर योग दिवस पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला जेल में दिव्य शक्ति संस्था द्वारा जेल परिसर जूटमिल में योग दिवस पर योग प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नगर पुलिस अधीक्षक ने बैंक एवं सराफा व्यापारियों की ली बैठक

बैंक/एटीएम एवं सराफा दुकान की सुरक्षा के संबंध में बैंक प्रबंधन एवं व्यापारियों को दिये गये निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। बैंकों/एटीएम एवं सराफा दुकानों की सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं व्यापारियों के साथ मीटिंग एवं परस्पर चर्चा कर सुरक्षा संबंधी निर्देश दिये जाते रहे हैं। विगत दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र में लूटरों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रतीक किया गया था किन्तु वे असफल रहे। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र के बैंकों एवं सराफा दुकानों की सुरक्षा की जांच कर अवगत करने को कहा। जिस पर यह बात सामने आयी है कि अभी भी कुछ बैंक प्रबंधन एवं व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठान की सुरक्षा में अनदेखी कर रहे है। जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक अग्रवाल द्वारा सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर को सराफा एवं बैंक प्रबंधकों की मीटिंग आहूत कर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु निर्देशित किये थे जिसके परिपालन में आज दिनांक 19.06.19 को सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर एवं नगर निरीक्षक एस.एन. सिंह द्वारा शहर के बैंक/एटीएम एवं सराफा व्यापारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में बैठक किया गया।

बैठक में सीएसपी ठाकुर द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं सराफा व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के अंदर एवं बाहर अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी लगवाने एवं उनके रखरखाव पर ध्यान देने को कहा गया। प्रबंधकों को बैंक तथा एटीएम में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, बैंक में सायरन तथा अलार्म की व्यवस्था तथा बैंक में हॉट लाइन की व्यवस्था करने निर्देशित किया गया जिससे किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर तुरंत सूचना पुलिस को दी जा सके। सीएसपी ठाकुर ने बैंक में अपरिचित या संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल संबंधित थाने को दिए जाने के साथ बैंकों एवं सराफा प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सत्यापन तत्काल कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी प्रमुख एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी ग्रामीण बैंक तथा ज्वेलरी शॉप के संचालक उपस्थित थे।

अलग- अलग घटना में फ्लाईऐस ब्रिक प्लांट व दुकान से ताला तोड़कर चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पहला मामला केलो विहार कॉलोनी चक्रधरनगर में रहने वाले पंकज कुमार गुप्ता पिता बलदेव प्रसाद गुप्ता उम्र 32 वर्ष का बिंजकोट में फ्लाईऐश प्लांट है। दिनांक 12.06.19 को पंकज गुप्ता प्लांट में ताला लगाकर घर आ गया था। दिनांक 13.06.19 को सुबह करीब 08:00 बजे प्लांट गया तो देखा कि प्लांट के मेन गेट में लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर रखा पंप मशीन, टी.वी. पंखा , आटा चक्की, गेर बोक्स, फेब्रीकेशन मशीन एवं अन्य मशीनरी इस्तेमाली सामान कीमती 40000 रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 198/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

वहीं दूसरी घटना में थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम भैंसबुडी गहनाझरिया में रहने वाले माघु राम यादव पिता स्व0 समारू यादव का भैंसबुडी में किराना दुकान है। दिनांक 18/06/19 के सुबह 08:00 बजे माघु राम यादव की पत्नि दुकान पर थी जो दुकान बंद करके शाम 07:00 बजे दुकान बंद कर घर आ गई। सुबह जब माघुराम यादव दुकान खोलने आया तो देखा बाहर का दरवाजा में लगा ताला टुटा हुआ था, दुकान के सटर की ओर का दिवाल को फोड कर सटर खोलकर कोई अज्ञात चोर 01 कट्टा चावल, 1 कट्टा शक्कर, डिब्बा में रखा 35 लिटर पेट्रोल व अन्य किराना सामान जुमला 10740 रूपये को चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 110/19 धारा 457, 380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
पीड़ित संपर्क करें
अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480